(131)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी / अशोकनगर / भू0रा0 / 2017 / 1961– विरूद्ध–

आदेश दिनांक 19–5–2017 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 697 / 2009–10 अपील

गोविन्द सिंह पुत्र पहलवान सिंह यादव
ग्राम पथरिया तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर . ——अनावेदक

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(शासन के पैनल लायर श्री मुकेश शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 15–4–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 697/2019–10 अपील में पारित आदेश दि0 19–5–2017 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि वह ग्राम पथरिया का कास्तकार है। ग्राम पथरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 306 रकबा 2–000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का उसे प्रकरण क्रमांक 123 अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 30–4–1991 से पटटा प्राप्त हुआ है किन्तु हलका पटवारी ने रिकार्ड में अमल नहीं किया है इसलिये राजस्व अभिलेख में अमल किया जावे। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 341 बी–121/ 2003–04 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12–10–2004 पारित करके ग्राम पथरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 306/1 रकबा 2–000 हैक्टर का अमल पटवारी रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान किया।

तत्का. तहसीलदार अशोकनगर के स्थानान्तरण उपरांत वाद में पदस्थ हुये तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 341 बी–121/ 2003–04 में अनियमिततायें करना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर को प्रतिवेदन दिनांक 21–9–2006 प्रस्तुत किया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने कलेक्टर अशोकनगर की ओर अग्रेषित किया। कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 105/2005–06 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 28–10–2006 पारित किया तथा स्वमेव निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक 12–10–2004 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्र0क0 697/2019–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–5–2017 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक को वादग्रस्त भूमि का पटटा तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 123 अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 30–4–91 से मिला है यदि तहसील न्यायालय में मिसल नहीं मिल रही है तब यह दायित्व आवेदक का नहीं है रिकार्ड के संधारण का कार्य रिकार्ड रूम एंव तहसील के कर्मचारियों का है । किसी भी पक्षकार ने अथवा गॉव के किसान ने पटटे की कोई शिकायत भी नहीं की है। पूर्व के तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 123 अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 30–4–91 से दिये गये पटटे के प्रकरण को री–ओपिन करने एंव स्वस्तर से छानवीन करके पटटा निरस्त करने के प्रस्ताव देने की अधिकारिता वाद में पदस्थ हुये तहसीलदार को नहीं है। वाद में पदस्थ हुये तहसीलदार ने वरिष्ठ से प्रकरण री–ओपिन करने की अथवा पुनरावलोकन करने की अनुमति भी नहीं ली है। उन्होंने तहसीलदार अशोकनगर के प्रतिवेदन दिनांक 21–9–06 को शून्यवत् बताते हुये शून्यवत् प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि तहसीलदार अशोकनगर को छानवीन करने पर तत्कालीन तहसीलदार अशोकनगर का प्र0क0 123 अ– 19/

90–91 नहीं मिला है और ऐसा कोई प्रकरण है भी नहीं, यदि होता तब प्रकरण अवश्य रिकार्ड में रहता। उन्होंने तहसीलदार अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 341 बी–121/ 2003–04 में अमल हेतु पारित आदेश दिनांक 12–10–2004 को आधारहीन होना बताते हुये ग्राम पथरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 306/1 रकबा 2–000 हैक्टर को शासकीय अंकित रखे जाने एंव कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–10–06 को यथावत् रखे जाने की मांग की है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर अशोकनगर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 105/2005–06 के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है वर्ष 2004 में पदस्थ तहसीलदार अशोकनगर के 341 बी–121/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12–10–04 को वाद में पदस्थ हुये तहसीलदार ने स्वस्तर से संज्ञान में लेकर जॉच कार्यवाही की है एंव प्रतिवेदन दिनांक 21–9–06 अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से कलेक्टर अशोकनगर को प्रस्तुत किया है। तत्का. तहसीलदार के प्रकरण एंव निर्णय के संबंध में किसी ग्रामीण की शिकायत के आधार पर अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के आधार पर दिनांक 21–9–06 को पदस्थ हुये तहसीलदार अशोकनगर ने संज्ञान में नहीं लिया है अपितु स्वस्तर से प्रकरण संज्ञान में लेकर प्रतिवेदन दिनांक 21–9–06 लिखा है। स्पष्ट है कि तत्का. तहसीलदार अशोकनगर के प्र.क्र. 341 बी–121/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12–10–04 को वाद में पदस्थ हुये तहसीलदार अशोकनगर ने बिना सक्षम अनुमति के री–ओपिन करने में भूल की है इस पर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने, कलेक्टर अशोकनगर ने एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने ध्यान न देने में भूल की है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में कलेक्टर अशोकनगर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 105/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28–10–2006 के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में विहित प्राधिकारी व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य न होकर निगरानी सुनवाई योग्य है,

जिसके कारण कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अग्राहय अपील में सुनवाई कर गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित करने में भूल की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 विधि में दी गई व्यवस्था के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 105/05-06 स्वमेव निगरानी की आर्डरशीट दिनांक 29-9-06 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आर्डरशीट के अंत में कलेक्टर अशोकनगर ने अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी हो - अंकित किया है । इस आदेश के पालन में आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 30-9-06 जारी किया गया है जिसके पृष्ठ-2 पर कलेक्टर के हस्ताक्षर होने के उपरांत कलेक्टर के बजाय किसी अन्य ने लालस्याही से नोट लगाया है कि नोटिस न लेने पर चस्पा कर तामील हो , परन्तु लालस्याही अंकन कर्ता के अथवा कलेक्टर के चस्पीदगी निर्देश वावत् हस्ताक्षर नहीं है एंव तामील कुनिन्दा के बजाय हलका पटवारी ने नोटिस यह लिखकर वापिस किया है कि एक प्रति प्राप्त। लेने से इन्कार किया। तामील मकान पर चस्पा की गई। एक प्रति प्राप्त अंकित करने का तात्पर्य क्या है ? एंव बिना सक्षम आदेश के नोटिस चस्पा हलका पटवारी ने किस आधार पर कर दिया ? प्रकरण में स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसीको आधार बनाते हुये कलेक्टर ने बिना तिथि अंकित किये इस प्रकार आर्डरशीट लिखी है :-

प्रकरण प्रस्तुत। अनावेदक को नोटिस लेने से इंकार करने पर चस्पा कर तामील कराया गया। अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रकरण गुणदोष के आधार पर आदेशार्थ।

जब अनावेदक एक-वार नोटिस लेने से इंकार करता है तभी पुनः चस्पीदगी से नोटिस तामील कराया जाता है जबकि विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर अशोकनगर व्दारा की गई उपरोक्तानुसार कार्यवाही नोटिस निर्वहन हेतु निर्धारित नियम एंव प्रकिया के विरूद्व कार्यवाही है जिसके कारण कलेक्टर व्दारा की गई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्वातों के अनुरूप न होने से कलेक्टर अशोकनगर व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-10-06 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ आवेदक के अभिभाषक के अनुसार वादग्रस्त भूमि का पटटा आवेदक

को मिला है जिसका अमल राजस्व अभिलेख में न होने से तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 341 बी–121/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2004 से मौके की जांच कराते हुये पट्टे का अमल किया है और इस आदेश को कलेक्टर अशोकनगर ने निरस्त करने हेतु आदेश के पद 9 में यह आधार लिया है कि भूमि चरनोई निस्तार दर्ज है और यह तथ्य पटवारी के अभिज्ञान में था कि चालू खसरे में दर्ज चरनोई निस्तार की भूमि का पट्टा वर्ष 2003–04 में नहीं हो सकता। आवेदक ने तहसीलदार अशोकनगर के समक्ष आवेदन के साथ प्रकरण क्रमांक 123 अ–19/90–90 से उसे वादग्रस्त भूमि के दिये गये पट्टे की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ–9 पर संलग्न है। विचार योग्य है कि जब उक्त पट्टे का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ है तब निश्चित् है कि भूमि का पट्टा जारी होने की पूर्व की स्थिति खसरे में अंकित रहेगी, किन्तु कलेक्टर अशोकनगर ने इस पर विचार नहीं किया है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगर व्दारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2006 तथा उपरोक्त की गई विवेचना के अनुसार अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–5–2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 697/2019–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–5–2017 एंव कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्र.क्र. 105/2005–06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–10–2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । फलस्वरूप तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 341 बी–121/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2004 यथावत् रहता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर